



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : 1869/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/एच-6

दिनांक : 24.10.2024

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा सैनिक कल्याण अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 654 दिनांक 10.05.2023 के क्रम में निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त पिटकुल में “सैल्फ हैल्प ग्रुप” के माध्यम से तैनात कार्मिकों को कारपोरेशन आदेश संख्या 1861/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/एच-6 दिनांक 15.11.2022 द्वारा देय प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि करते हुए संशोधित प्रोत्साहन भत्ता प्रतिमाह निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र० सं० | विवरण | 10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि | 10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि |
|----------|--|--|---|
| 1 | कार्मिक को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि | रु० 4800.00 | रु० 5800.00 |
| 2 | ई०एस०आई० 3.25 प्रतिशत (मुख्य नियोक्ता द्वारा देय) | रु० 156.00 | रु० 189.00 |
| 3 | योग (क्रम सं० 1 व 2) | रु० 4,956.00 | रु० 5,989.00 |
| 4 | सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत (क्रम सं० 3 का) | रु० 124.00 | रु० 150.00 |
| 5 | योग (क्रम सं० 3 व 4) | रु० 5,080.00 | रु० 6,139.00 |
| 6 | GST 18 प्रतिशत (क्रम सं० 5 का) | रु० 914.00 | रु० 1,105.00 |
| 7 | मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि का योग (क्रम सं० 5 व 6 का) | रु० 5,994.00 | रु० 7,244.00 |

इसके अतिरिक्त समय-समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा “उपनल” के कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रोत्साहन भत्ते की दर को संशोधित किये जाने तथा श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम वेतन की दर को पिटकुल में “सैल्फ हैल्प ग्रुप” के माध्यम से कार्योजित कार्मिकों हेतु संशोधित दरें अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

अध्यक्षा, पिटकुल

पत्रांक : 1869/मा०सं०एवंप्र०वि०/पिटकुल/एच-6 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव-निदेशक (मा०सं०)/परिचालन/परियोजना/वित्त, पिटकुल को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल,
4. कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,
6. समस्त आहरण वितरण अधिकारी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....।
7. अधिशासी अभियन्ता (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा०सं०)(औ०)